

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का.अ. 770(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा सरकार के परामर्श से गोवा राज्य के ऐसे पौधों और पशुओं की जातियों को नीचे सारणी के स्तम्भ (2) की सूची के अनुसार चुना होने के कारण पर ही अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	जातियों के नाम
(1)	(2)
	पौधे
1.	सिरोपेनिया फैंटास्टिका सेज
2.	फाइलेंथस टलबोटी सेज
	पशु
1.	विवेरा सिवेटिना, (ब्लाइथ, 1862)
2.	बालेनोप्टेरा र्मुसकुलस (लिनियस, 1758)
3.	ड्यूगोंग ड्यूगोंग (मूल्लर, 1776)
4.	पैंथेरा टाइग्रिस (लिनियस, 1758)
5.	जिप्स बेंगालेंसिस (मिल्लर, 1788)
6.	डर्मोचेलिस कॉरियासीया (वन्देली, 1761)
7.	एरिन्गोचेलिस इम्ब्रिकाटा (लिनियस, 1766)

2. सारणी के स्तम्भ (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह का विन्मलिखित प्रयोजनों के लिए ही गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमोदन के बिना प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
- (ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बनस्पति संग्रहालय और संग्रहालय;
- (ग) प्रचार; और
- (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड विन्मलिखित का धार अपने रूप लेगा -

- (i) संपूर्ण समूह के लिए अधिसूचित जातियों के सभी पशुओं का अध्ययन;
- (ii) यथावत और पूर्ववत् संरक्षण और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अधिसूचित जातियों का प्रचार; और

- (iii) वन विभाग के कार्यात्मक, जैव विविधता प्रबंध समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रम और बनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित जातियों पर जानकारी कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक समग्री उपलब्ध करना।

[का. सं. 28-12/2008-सी एम-111]

ए. के. शेख, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 770(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Goa, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Goa, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Species
(1)	(2)
	Plants
1.	<i>Ceropegia fantastica</i> Sedgw.
2.	<i>Phyllanthus talbotii</i> Sedgw.
	Animals
1.	<i>Viverra civetina</i> , (Blyth, 1862)
2.	<i>Balaenoptera rhusculus</i> (Linnaeus, 1758)
3.	<i>Dugong dugon</i> (Muller, 1776)
4.	<i>Panthera tigris tigris</i> (Linnaeus, 1758)
5.	<i>Cypus bengalensis</i> (Gmelin, 1788)
6.	<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)
7.	<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Goa State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely :—

- (a) scientific research;
- (b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;
- (c) propagation; and
- (d) any other scientific investigation.

3. The Goa State Biodiversity Board shall undertake—

- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
- (ii) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and

- (ii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

A. K. GOYAL, J. Secy.